

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद्, रायपुर
CHHATTISGARH MEDICAL COUNCIL:RAIPUR

(Estd. on 26-2-2001 U/s 3 of the Chhattisgarh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam 1987, C.G. Govt. Adaptation order 2001)
First Floor, Dr. Balmukund Sharma Clinic, Kankalipara, Near Nagar Nigam Ayurvedic Hospital, Raipur - 492001 (C.G.)

Tel. & Fax No. 0771-2543393

Email id: cg_medicalcouncil@yahoo.co.in

क्रमांक/सीजीएमसी/सीपीएस/2018/330

रायपुर दिनांक 28/08/2018

Q.1

स्नातकोत्तर डिप्लोमा कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स मुंबई में प्रवेश सूचना सत्र 2018

छत्तीसगढ़ सरकार ने चिकित्सा के स्नातकोत्तर शिक्षा उपलब्ध करने हेतु कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स मुंबई संस्था के द्वारा संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रम विभिन्न विभाग के कुल 34 सीट हेतु अनुमति प्राप्त है। जिस हेतु आवेदन पत्र प्रारूप, लागू छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम 2018, आवेदन शुल्क एवं पाठ्यक्रम शिक्षण शुल्क इत्यादि कि जानकारी संचालक चिकित्सा शिक्षा वेबसाइट www.cgdme.co.in पर उपलब्ध है।

समय अभाव के कारण वांछित आवेदन शुल्क की डी.डी. तथा आवेदन भरकर आवेदक सीधे काउंसलिंग स्थल पर दिनांक 04 सितम्बर 2018 को उपस्थित होंगे उनकी परस्पर प्रविण्यता श्रेणीवार (नीट स्कोर पर आधारित) होगी।

कृपया विस्तृत जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट www.cgdme.co.in का अवलोकन करें।



रजिस्ट्रार,
छ0ग0 मेडिकल कौंसिल

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद्, रायपुर
CHHATTISGARH MEDICAL COUNCIL:RAIPUR

(Estd. on 26-2-2001 U/s 3 of the Chhattisgarh Ayurvedigyan Parishad Adhiniyam 1987, C.G. Govt. Adaptation order 2001)
First Floor, Dr. Balmukund Sharma Clinic, Kankalipara, Near Nagar Nigam Ayurvedic Hospital, Raipur - 492001 (C.G.)

Tel. & Fax No. 0771-2543393


Email id: cg_medicalcouncil@yahoo.co.in

क्रमांक/सीजीएमसी/सीपीएस/2018/332

रायपुर दिनांक 30/08/2018

सी.पी.एस. पाठ्यक्रम शुल्क विवरण

1. आवेदन पत्र शुल्क रूपये 2000/-
2. प्रवेश उपरांत प्रशिक्षण शुल्क रूपये 12,50,000/-
(बारह लाख पचास हजार रूपये) प्रतिवर्ष देय होगा।
3. समस्त शुल्क डीडी के माध्यम से मान्य होगा।
4. डी.डी. सी. पी. एस. छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल रायपुर के नाम से देय होगा।


(डॉ. श्रीकांत राजिमवाले)
रजिस्ट्रार
छ.ग. मेडिकल कौंसिल, रायपुर

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद्, रायपुर
CHHATTISGARH MEDICAL COUNCIL:RAIPUR
(Estd. on 26-2-2001 U/s 3 of the Chhattisgarh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam 1987, C.G. Govt. Adaptation order 2001)

First Floor, Dr. Balmukund Sharma Clinic, Kankalipara, Near Nagar Nigam Ayurvedic Hospital, Raipur - 492001 (C.G.)


Tel. & Fax No. 0771-2543393

Email id: cg_medicalcouncil@yahoo.co.in

कॉलेज ऑफ फिजीशियन एण्ड सर्जन्स, मुंबई के पाठ्यक्रमों
को प्रारंभ करने हेतु सीटों की जानकारी

क्रमांक	जिलो का नाम	उपाधी	सीटों की संख्या	कुल सीटों की संख्या
1	दुर्ग	Diploma Med.	02	10
		Diploma Ortho	02	
		Diploma OBG	04	
		Diploma Paed.	02	
2	रायपुर	Diploma Med.	02	10
		Diploma Paed.	02	
		Diploma OBG	02	
		Diploma Ophth.	02	
		Diploma Anaes.	02	
3	कोरिया	Diploma Ortho	02	02
4	बिलासपुर	Diploma Paed.	02	08
		Diploma OBG	02	
		Diploma Med.	02	
		Diploma Anaes.	02	
5	धमतरी	Diploma Path.	02	04
		Diploma ENT	02	
	कुल		34	34


वर्तमान में इन जिला चिकित्सालयों में कॉलेज ऑफ फिजीशियन एण्ड सर्जन्स, मुंबई के पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किया जाना है।


(डॉ. श्रीकांत राजिमवाले)
रजिस्ट्रार
छ.ग. मेडिकल कौंसिल, रायपुर

College of Physician P.G. Diploma Course 2018

DIPLOMA	Calculation		SEAT		NO CLASS	Calculation	FEMALE
34		UR	16		12	4.8	4
	10.88	ST 32%	10		7	3	3
	4.08	SC 12%	4		3	1.2	1
	4.76	OBC 14%	4		3	1.2	1
		GTotal	34				

आबंटन से पूर्व लाटरी के माध्यम से सीटों की श्रेणी निर्धारित की जायेगी।


(डॉ. श्रीकांत राजिमवाले)
रजिस्ट्रार
छ.ग. मेडिकल कौंसिल, रायपुर

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद्, रायपुर
CHHATTISGARH MEDICAL COUNCIL:RAIPUR
(Estd. on 26-2-2001 U/s 3 of the Chhattisgarh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam 1987, C.G. Govt. Adaptation order 2001)

First Floor, Dr. Balmukund Sharma Clinic, Kankalipara, Near Nagar Nigam Ayurvedic Hospital, Raipur - 492001 (C.G.)


Tel. & Fax No. 0771-2543393

Email Id: cg_medicalcouncil@yahoo.co.in

कॉलेज ऑफ फिजीशियन एण्ड सर्जन्स, मुंबई के पाठयक्रमों
में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं के स्टायपण्ड की जानकारी

क्र.	पी.जी. छात्र	पुनरीक्षित शिष्यवृत्ति	
1	प्रथम वर्ष	42000 /-	प्रति माह देय होगा।
2.	द्वितीय वर्ष	45000 /-	प्रति माह देय होगा।

वर्तमान में कॉलेज ऑफ फिजीशियन एण्ड सर्जन्स, मुंबई के पाठयक्रमों के लिए देय स्टायपण्ड होगा।


(डॉ. श्रीकांत राजिमवाले)
रजिस्ट्रार
छ.ग. मेडिकल कौंसिल, रायपुर

Application Form
(For CPS courses in Chhattisgarh State)

Photo Self
Attested

(Resent Colors
Photo)

- (i) NEET Roll No. :
- (ii) NEET Score :
- (iii) Candidate Name :
- (iv) Father Name :
- (v) MBBS From Chhattisgarh State (Write Yes or No in box)
- (vi) Chhattisgarh Domicile (Write Yes or No in box)
- (vii) Gender :
- (viii) Category :
- (ix) Class (Ph) :
- (x) Bonus Marks for in-service Candidate :
- (xi) Document (Please attach Photocopy) –
1. NEET Admit Card (*)
 2. NEET Mark Sheet (*)
 3. 10th Mark Sheet (*)
 4. MBBS Final Year Mark Sheet (*)
 5. Internship Completion Certificate (*)
 6. MBBS Degree (*)
 7. State Council Registration Certificate (*)
 8. Chhattisgarh State Domicile Certificate (*) MBBS From Chhattisgarh State
 9. Chhattisgarh Permanent Caste Certificate (If Applicable)
 10. Certificate for Bonus Marks (If Applicable)
- (xii) D.D. of Rs 2000/- : Name of Bank -

D.D. No. -Date

Dated :

Signature of Candidate

Approved
Gommanj
31/8/18

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद्, रायपुर
CHHATTISGARH MEDICAL COUNCIL:RAIPUR

(Estd. on 26-2-2001 U/s 3 of the Chhattisgarh Ayurvigyan Parishad Adhinyam 1987, C.G. Govt. Adaptation order 2001)
First Floor, Dr. Balmukund Sharma Clinic, Kankalipara, Near Nagar Nigam Ayurvedic Hospital, Raipur - 492001 (C.G.)

Tel. & Fax No. 0771-2543393

Email id: cg_medicalcouncil@yahoo.co.in

0.5

काँउसिलिंग सूचना

(सीपीएस स्नातकोत्तर चिकित्सा डिप्लोमा पाठ्यक्रम की काँउसिलिंग एवं आबंटन निम्नानुसार आयोजित है)

Venue :- Govt. Dental College, Near Ambedkar Hospital, Raipur (C.G.)

Date :- 04/09/2018


Reporting Time :- 8AM To 12 Noon

Late Reporting Upto 12.30 PM

Publication of Merit List- 12.45 PM

Allotment Started – 1 PM (13 Hrs)

नोट :- सभी अभ्यर्थी वेबसाइट से प्रिंट आवेदन पत्र पूर्णतः भरा हुआ मय NEET
SCORE Result एवं रूपये 2000/- का **D.D.** सहित उपस्थित हो।



(डॉ. श्रीकांत राजिमवाले)

रजिस्ट्रार

छ.ग. मेडिकल काँसिल, रायपुर



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

पृष्ठ सं. ११

राजपत्र प्रकाशन दिनांक 13 मार्च 2018 — भागानु 22, अंक 1939

चिकित्सा शिक्षा विभाग
भवन, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 21-01, 2018, नौ/55-4 — राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश अधिनियम, 2002 (क 28 सन् 2002) की धारा 3 सहपठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाने हेतु राज्य सरकार, एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सभी सीटों में तथा निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की समस्त सीटों (अप्रवासी भारतीय नियतांश की सीटों को छोड़कर) में प्रवेश हेतु विस्तारित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ -
 - (एक) ये नियम छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश विभाग, 2018 कहलायेंगे।
 - (दो) ये नियम तत्काल प्रभाव में प्रवृत्त होंगे।
 - (तीन) राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की राज्य कोटे की स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सीटों एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की समस्त सीटों में प्रवेश, इन नियमों के आधार पर दिया जाएगा।
2. परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो,-
 - (क) "परिभाषा एजेन्सी अथवा एजेन्सी" से अभिप्रेत है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन नई दिल्ली अथवा केन्द्र सरकार द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने हेतु अधिकृत एजेन्सी,
 - (ख) "वास्तविक निवासी" से अभिप्रेत है ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए राजपत्र/अधिसूचना/अदेशों के अनुरूप परिभाषित अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक निवासी हो (परिभाषा - एक)
"वास्तविक निवासी प्रमाणपत्र" से अभिप्रेत है परिभाषित - एक का प्रमाणपत्र, जो कि नियमित तहसील कार्यालय का उम्मेद उच्च कमिश्नरी से जारी किया गया हो,

119

Please see separate file
for Rules

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner